कार्यवृत्त

शुक्रवार, 18 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 07 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड–38
अंक–5

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि कल की बैठक में नेता सदन ने आश्वस्त किया था कि मा0 सदस्य श्री ठुकराल के सम्बन्ध में चल रहे तथा कथित झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय कल शाम तक ले लिया जायेगा। लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर विपक्ष के सभी सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात जोर-जोर से कहते हुए पीठ की ओर बढ़ने पर रक्षकों द्वारा रोके जाने पर रक्षकों से धक्का-मुक्की करने लगे। इस पर घोर व्यवधान होने लगा। जिस पर **श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 07 मिनट पर 11 बजकर 45 मिनट तक के लिए स्थगित की।**

11 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 01:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

01:00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 03:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

03:00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि अध्यक्ष जी ने सदन का समय 03 बजकर 15 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

03 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य अनुपस्थित थे।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम पंचायत मर्दसू के मजरे कोल की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के सम्बन्ध में'' श्री कलम सिंह नेगी, निवासी-ग्राम कोल, ग्राम सभा मर्दसू व पो0 मर्दसू, तहसील-विकासनगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई ।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा मर्दसू की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम मर्दसू, ग्राम व पो0 मर्दसू, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा तथा ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील-विकासनगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त 5 (6-7) कि0मी0 सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील-विकासनगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा कटापत्थर क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री राजदीप भारद्वाज, निवासी ग्राम व पो0 कटापत्थर, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड विकासनगर की ग्राम सभा लांघा, ग्राम सभा तौली भूड़ के क्षतिग्रस्त कि0मी0 5 (8-9) सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री कमल सिंह, निवासी-ग्राम लांघा, ग्राम सभा व पो0 लांघा, तहसील-विकासनगर जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 07 सूचनाएं प्राप्त हुई। श्री अध्यक्ष द्वारा श्री माल चन्द, श्री बंशीधर भगत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री चन्दन राम दास श्री राजेश शुक्ला एवं श्री बिशन सिंह चुफाल का नाम पुकारे जाने पर सभी सदस्य अनुपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 07 फरवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 10 फरवरी, 2014 से दिनांक 21 फरवरी, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

<u>फरवरी, 2014</u>

10	सोमवार	बैठक नहीं होगी।
11	मंगलवार	(1) बजट पर सामान्य चर्चा।
		(2) विधायी कार्यः-
		1. उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

12 फरवरी, 2014 से 21 फरवरी, 2014 तक के शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रदेश में स्थानीय निकायों (नगर पंचायतों/नगर पालिकाओं/नगर निगमों) में कार्य पद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु स्थानीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों/सभासदों/पार्षदों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यशाला आयोजित किये जाने विषयक संकल्प के प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मदन कौशिक का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण संकल्प प्रस्तुत नहीं हुआ।

प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाये जाने विषयक दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण संकल्प पर चर्चा नही हो पायीः-

''उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिये जाने'' विषयक दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को नियम-105 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण प्रस्ताव पर चर्चा नही हो पायी।

नियम- 105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ हुईः-

> ''यह माननीय सदन रेल मंत्रालय केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य, जनपद देहरादून के धर्मावाला नामक स्थान को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकटतम स्थान तक सीधे रेल मार्ग से जोड़ने के लिए एक नये रेल मार्ग की स्वीकृति दी जाय।''

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुईं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हेमेश खर्कवाल, श्री मयूख महर एवं श्री गणेश गोदियाल, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को नियम-54 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित सूचना पर चर्चा आरम्भ हुईः-

> ''वनों को संरक्षित करना एवं सस्ते गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराना जनहित में अति आवश्यक है।''

उपरोक्त सूचना पर निम्नलिखित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये:-

1. श्री नवप्रभात,

2. श्री गणेश गोदियाल,

3. श्री विक्रम सिंह नेगी,

4. श्री उमेश शर्मा ।

संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त चर्चा समाप्त हुईं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी:-**

> ''विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय।''

कृषि मंत्री ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

> ''मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर गठित विधान सभा की प्रवर समिति जिसका कार्यकाल 10 फरवरी, 2014 को समाप्त हो रहा है, का कार्यकाल वर्तमान सत्र के अन्तिम उपवेशन अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए बढ़ा दिया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 04 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में कोई महाविद्यालय न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा

विधान सभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत गरुड़ बृहत पेयजल योजना के लम्बित प्रस्ताव के गुम होने की जांच के सम्बन्ध में श्री चन्दन राम दास की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा हेतु श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट का नाम पुकारे जाने पर माननीय नेता प्रतिपक्ष सदन में उपस्थित नहीं थे।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 45 मिनट पर मंगलवार दिनांक 11 फरवरी, 2014 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।